एकात्म भारत के लिए
सुचेन्द्र मिश्रा द्वारा प्रकाशित

एकात्म भारत

@EkatmaBharat
दैनिक एकात्म भारत

मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, द्वीतीया,
शनिवार विक्रम संवत् 2076

जो एकात्म है वही भारत है

14 दिसंबर 2019, इंदौर
e-paper : www.ekatmabharat.com

बड़वानी में जनजाति सांस्कृतिक सम्मेलन और शिवपंथी मेले का आयोजन

बड़वानी

वनवासी कल्याण परिषद व शिवपंथी सत्संग समिति द्वारा विशाल जनजाति सांस्कृतिक सम्मेलन और शिवपंथी मेले का आयोजन नकटीमाता (मेणीमाता) में हुआ। मेले का शुभारंभ पूज्य गुरुवर्य सुरेखा माताजी द्वारा हवन कर कि या गया।

भगवान दत्तात्रेय का प्रकटोत्सव व बाबा वनसिंग के स्मरण दिवस पर ये आयोजन हुआ। इसमें शिवपंथियों ने भजन भी प्रस्तुत कि ए। हजारों की सख्या में समाज सम्मेलन आकर शिव मंदिर में भगवान के दर्शन लाभ लिया। जनजाति सम्मेलन में वनवासी कल्याण आश्रम के क्षेत्र संगठन मंत्री प्रवीण डोलके ने उद्बोधन में कहा कि जनजाति समाज का इतिहास और भूमिका रखी। साथ ही वनसिंग बाबा का जीवन कैसा रहा व भगवान दत्तात्रेय के प्रकटोत्सव के बारे में बताया। शिवपंथी संत पहाड़सिंह महाराज ने कहा कि नशामुक्त समाज हो तथा हर वर्ष कार्यक्रम हो ऐसा आग्रह किया।

रामेश्वर महाराज ने बताया सम्मेलन में वनवासी कल्याण परिषद के प्रांत नगरीय जनजाति प्रमुख कन्हैयालाल सिसौदिया, शांतिलाल गंगवाल, मेहताबसिंह बर्डे, मुकेश मंडलोई, कैलाश जुनाझिरा, शोभाराम महाराज, जिला संगठन मंत्री मिथुन मकवाने, श्रद्धा जागरण प्रमुख दलसिंह मुजाल्दे, टंट्या महाराज, जगदीश महाराज, सिलदार महाराज, भाया पटेल, रमेश डावर, डेबरा महाराज, मजान महाराज, इसला महाराज, दरजिया महाराज, भेरला चौहान, के वलसिंह खोटे, कमलेश खरते उपस्थित थे।

जब लोमड़ी मुर्गे की रखवाली करे, तो सतर्क रहना जरूरी, यूएन में बोला भारत

पाकिस्तान द्वारा कश्मीर और नागरिकता संशोधन विधेयक का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाने पर भारत का जवाब

नई दिल्ली

भारत ने आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में फिर से आईना दिखाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने जम्मू व कश्मीर का मुद्दा उठाया था। साथ ही नागरिकता संशोधन विधेयक का भी हवाला दिया तो भारतीय पक्ष ने इसका तीखा जवाब दिया और पाकिस्तान को आईना दिखाया।

भारत ने कहा कि दुनिया के किसी भी आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से ही जुड़े हुए हैं। दुनिया के हर बड़े आतंकी हमले के कदम इस्लामाबाद से ही होकर गुजरते हैं। भारत ने कहा कि निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए आतंकवाद के इस सुरक्षित पनाहगाह में ही प्रशिक्षण दिया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पालोमी त्रिपाठी ने महासभा में 'शांति की संस्कृति' पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान की जमकर क्लास ली। उन्होंने कहा, 'सहयोग की भावना ही शांति की संस्कृति का सार है। मगर इस एजेंडे का न तो दुरुपयोग होना चाहिए और न ही इसे महत्वहीन बनाया जाना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'हमें तब और सावधानी बरतनी होती है, जब लोमड़ी ही मुर्गों के दड़बे की रखवाली कर रही हो।' त्रिपाठी ने पाकिस्तान पर हमला करते हुए उस पर राजनीतिक फायदे के लिए झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने पड़ोसी देश पर तीखा पलटवार करते हुए कहा, 'असल में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की हर बड़ी घटना के तार इस देश से जुड़ते हैं। बेगुनाह लोगों की जान लेने के लिए आतंकवादियों को उनके सुरक्षित पनाहगाहों में ट्रेंड किया जाता है। बच्चों और युवाओं को किताबों की जगह बंदूकें थमाई जाती हैं। महिलाओं पर अत्याचार होते हैं तो अल्पसंख्यकों पर जुल्म किए जाते हैं।' भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान दूसरे देशों के आंतरिक मामलों को लेकर निराधार आरोप लगा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे आरोपों पर भारत का रुख बहुत ही स्पष्ट है और वह इन निराधार आरोपों को खारिज करती हैं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने आतंकवाद पर पर्दा डालने वाले इन कपटपूर्ण दुष्प्रचारों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा।

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने भारत के खिलाफ मुद्दों को उठाया था। इसका पालोमी त्रिपाठी ने करारा जवाब दिया। मुनीर ने अपने भाषण में भारत के आतंरिक मुद्दों को खासतौर से जगह दी। उन्होंने अनुच्छेद 370, नागरिकता संशोधन विधेयक, एनआरसी और अयोध्या मामले का उल्लेख किया था।

काशी : स्टे हटने के पश्चात ज्ञानवापी मामले में सुनवाई पुनः शुरू

पुरातात्विक सर्वेक्षण करवाने को लेकर अब नौ जनवरी को होगी सुनवाई

प्रयागराज

अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ के मामले में सुनवाई प्रारंभ होने वाली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस मामले में दो दशक से चला आ रहा स्टे समाप्त हो गया है। अब 9 जनवरी से इस मामले में सुनवाई प्रारंभ होगी। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के मुकदमे की सुनवाई फिर से वाराणसी की सिविल जज (सीनियर डिवीजन-फास्ट ट्रैक कोर्ट) की कोर्ट में शुरू होगी। भगवान विश्वेश्वर की ओर से ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराए जाने की याचिका पर कोर्ट 9 जनवरी को सुनवाई करेगी। ये याचिका पंडित सोमनाथ व्यास व अन्य ने 1991 में लगाई थी।

स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से पंडित सोमनाथ व्यास और अन्य ने ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिन्दुओं को पूजा-पाठ का अधिकार देने आदि को लेकर वर्ष 1991 में स्थानीय अदालत में मुकदमा दाखिल किया था। भगवान विश्वेश्वर के पक्षकारों की ओर से कहा गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर मंदिर का अंश है। वहां हिन्दू आस्थावानों को पूजा-पाठ, राग-भोग, दर्शन आदि के साथ निर्माण, मरम्मत और पुनरोद्धार का अधिकार प्राप्त है। इस मुकदमे में वर्ष 1998 में उच्च न्यायालय के स्टे के बाद सुनवाई स्थगित हो गई थी, जो अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में फिर से शुरू हुई है।

सिविल जज ने मुकदमे की सुनवाई शुरू करते ही दिवंगत वादी पंडित सोमनाथ व्यास और डॉ. रामरंग शर्मा के स्थान पर प्रतिनिधित्व करने के लिए पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) विजय शंकर रस्तोगी

को वाद मित्र नियुक्ति किया है। वाद मित्र की ओर से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की अर्जी से हलचल तेज हो गई। कोर्ट ने इस अर्जी पर विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और सुन्नी वक्फ बोर्ड (लखनऊ) से आपत्ति मांगी है। वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने कोर्ट में दिए गए आवेदन में कहा है कि कथित विवादित ज्ञानवापी परिसर में स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ का शिवलिंग आज भी स्थापित है। मंदिर परिसर के हिस्सों पर मुसलमानों ने आधिपत्य करके मस्जिद बना दिया। 15 अगस्त 1947 को भी विवादित परिसर का धार्मिक स्वरूप मंदिर का ही था।

इस मामले में केवल एक भवन ही नहीं, बल्कि बड़ा परिसर विवादित है। लंबे इतिहास के दौरान पूरे परिसर में समय-समय पर हुए परिवर्तन के साक्ष्य एकत्रित करने और धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) से सर्वेक्षण कराया जाना जरूरी है। वाद मित्र ने भवन की बाहरी और अंदरूनी दीवारों, गुंबदों, तहखाने आदि के सबंध में एएसआई की निरीक्षण रिपोर्ट मंगाने की अपील की है। इस मामले में राम मंदिर की एएसआई द्वारा खुदाई का आदेश उदाहरण बन सकता है।